सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग हेतु

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

भारत गणराज्य

और

द मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑफ द फेडेरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील

के बीच

समझौता ज्ञापन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत गणराज्य और द मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑफ द फेडेरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील (एतदुपरांत व्यष्टितः "पक्ष" अथवा संयुक्त रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित) के बीच, जो अपने-अपने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विकसित करने की आकांक्षा रखते हैं, निम्नलिखित पर सहमति बनी है:

अनुच्छेद –1

दोनों पक्ष पारस्परिक सहमति से वाले नियमों और शर्तों के अनुसार तथा अपने-अपने पक्ष पर लागू विधियों और विनियमों के अनुरूप, निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से नीति और सांस्थानिक फ्रेमवर्क के विकास हेतु क्षमता निर्माण;

(2) एमएसएमई के विकास हेतु प्रमुख क्षेत्रों और अवसरों की पहचान के लिए औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन;

(3) दोनों देशों की संस्थाओं के साथ-साथ व्यावसायिक उद्यमों के बीच साझेदारी परियोजनाओं और सहयोग का संवर्धन;

(4) एमएसएमई के प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना;

(5) भारत गणराज्य तथा फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील में एमएसएमई उत्पादों के विपणन हेतु प्रदर्शनी एवं व्यापार मेलों का आयोजन तथा उनके उत्पादन प्रचालनों के लिए नवीनतम मशीनरी और उपकरण तथा एमएसएमई द्वारा अपेक्षित सामग्री इनपुट का प्रदर्शन;

(6) भारत और ब्राज़ील के उद्यमों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संधारणीय व्यवसाय गठबंधनों को प्रारंभ करने में सहायता के लिए व्यापार मिशनों का आदान-प्रदान;

(7) भारत गणराज्य और फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील में, दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से निर्णीत परियोजनाओं/क्षेत्रकों में संगठनों/संस्थानों/एमएसएमई के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

अनुच्छेद –2

एक संयुक्त समिति (एतदुपरांत "समिति" के रूप में संदर्भित) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेगी। समिति में भारत की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि और ब्राजील की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संयुक्त समिति के सदस्यों के संघटन के संबंध में, प्रत्येक पक्ष अपनी ओर से दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

अनुच्छेद -3

(1) समिति वर्ष में एक बार सामान्य सत्र में तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर किसी भी पक्ष के अनुरोध पर असाधारण सत्र में (आभासी अथवा प्रत्यक्ष रूप से) भारत गणराज्य या फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील में बैठक करेगी; और

(2) समिति सहयोग कार्यक्रमों एवं योजनाओं के निर्माण की देख-रेख करेगी तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करेगी जिसका उद्देश्य एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच के संबंधों और साझेदारी का सुदृढ़ीकरण होगा।

अनुच्छेद -4

दोनों पक्ष सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विकास अवसरों और साझेदारी की संभावनाओं से संबंधित सूचना का नियमित रूप से आदान-प्रदान करेंगे और उनकी प्राप्ति के लिए काम करेंगे।

अनुच्छेद -5

दोनों पक्ष परस्पर लिखित सहमति से इस समझौता ज्ञापन में संशोधन कर सकेंगे। कोई भी संशोधन उन्हीं नियमों और शर्तों के अंतर्गत प्रभावी होगा जो इस समझौता ज्ञापन के प्रभावी होने के लिए आवश्यक हो।

अनुच्छेद -6

इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत किए जाने वाले सहकारी कार्यों से संबंधित व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय व्यवस्थाएँ निधियों की उपलब्धता के दृष्टिगत, मामला-दर-मामला आधार पर दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित की जाएँगी।

अनुच्छेद –7

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या से उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा मतभेद का निपटान दोनों पक्षों के बीच परामर्श या वार्ता के माध्यम से तथा राजनयिक चैनलों के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा।

अनुच्छेद –8

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और पांच(5) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से प्रत्येक पांच

वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को राजनयिक चैनल के माध्यम से 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने इरादे को इंगित करते हुए इसे समाप्त कर सकेगा

अनुच्छेद –9

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के दौरान तथा उसके पश्चात, किसी भी पक्ष के पास उपलब्ध वह समस्त सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो दूसरे पक्ष से प्राप्त हुई हो। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी सूचना का उपयोग केवल दोनों पक्षों के लाभ के लिए किया जाएगा तथा इस समझौता ज्ञापन के दायरे से बाहर किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसी सूचना तीसरे पक्षों को केवल तभी जारी की जाएगी जब दोनों पक्षों के बीच इस संबंध में संयुक्त लिखित सहमति हो।

अनुच्छेद –10

इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से पूर्व आरंभ हो चुकी किसी भी परियोजना की पूर्णता इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक दोनों पक्षों में अन्यथा सहमति न बन जाए। अधोहस्ताक्षरी ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत किए जाने को देखते हुए साक्षी के तौर पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक .... को अंग्रेज़ी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाओं की तीन मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए जिनके पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

किसी भी व्याख्यात्मक भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेज़ी पाठ मान्य

मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, **फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील हेतु**	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,** **भारत गणराज्य हेतु**
नाम....................................... पदनाम	नाम...जीतन राम मांझी / JITAN RAM MANJHI सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री Minister of Micro, Small and Medium Enterprises पदनाम ....भारत सरकार / Govt. of India कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली Kartavya Bhavan-3, New Delhi